

संसदीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 72

संसदीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| राजस्व | ... | 10.51 | 10.51 | ... | 13.28 | 13.28 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 14.35 | 14.35 | |
| पूँजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | ... | 10.51 | 10.51 | ... | 13.28 | 13.28 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 14.35 | 14.35 | |
| 1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं | 2052 | ... | 10.51 | 10.51 | ... | 13.28 | 13.28 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 14.35 | 14.35 |
| कुल जोड़ | ... | 10.51 | 10.51 | ... | 13.28 | 13.28 | ... | 13.00 | 13.00 | ... | 14.35 | 14.35 | |

1. यह मांग संसद सदस्यों के सचिवालय स्टाफ के वेतन इत्यादि, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल हेतु व्यय, पारस्परिक आधार पर विदेशी संसदीय प्रतिनिधियों की भारत यात्रा, युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं अन्य व्यय की व्यवस्था के लिए है।